

**भारत सरकार**  
**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2026**  
**बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की निविदा**

**2026. श्री के. ई. प्रकाश:** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कमजोर ग्रिड-कनेक्टिविटी, विद्युत क्रय करारों (पीपीए) और निकासी क्षमता के स्पष्ट संकेतों के बावजूद सरकार द्वारा नई नवीकरणीय परियोजनाओं (प्रति वर्ष 50 गीगावॉट का लक्ष्य) को लगातार निविदा जारी रखने के क्या कारण हैं;
- (ख) निविदाएं जारी करने से पहले पीपीए-व्यवहार्यता और निकासी अवसंरचना की तैयारी का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई प्रणालियों का ब्यौरा क्या है और उन प्रणालियों के स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होने के क्या कारण हैं जिससे आपूर्ति और मांग में असंतुलन हो रहा है; और
- (ग) सरकार अत्यधिक आपूर्ति और कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों के कारण नवीकरणीय निविदाओं को धीमा करने और परियोजनाओं को रद्द करने की अपनी रणनीति को अचानक बदलने को किस प्रकार न्यायोचित ठहराती है?

**उत्तर**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**  
**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क), (ख) और (ग): केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, देश में बिजली की ज़रूरत लगातार बढ़ी है, जो वित्त वर्ष (FY) 2020-21 में लगभग 1,275 बिलियन यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1,695 बिलियन यूनिट हो गई है। 31 दिसंबर 2025 तक, भारत की गैर-जीवाश्म श्रोतों से स्थापित की गई क्षमता लगभग 266 GW है। भारत सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म श्रोतों से 500 GW स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है।

31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (REIAs), अर्थात् सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI), NTPC लिमिटेड (NTPC), NHPC लिमिटेड (NHPC) और SJVN लिमिटेड (SJVN) ने लेटर ऑफ अवार्ड (LoAs) जारी किए हैं जिनमें से लगभग 24 GW के लिए विद्युत खरीद करार (PPAs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

REIA द्वारा हाल ही में जारी की गई निविदा, नीति के उद्देश्यों में बदलाव के बजाय बदलते बाजार हालात को दर्शाते हैं। सोलर-प्लस-स्टोरेज और निकासी योग्य नवीकरणीय विद्युत (डिस्पैचेबल रिन्यूएबल पावर) की लागत कम होने के साथ, वितरण कंपनियों और आखिर में खरीदारों के बीच ऐसे समाधान पसंद

करने को वरीयता दी जा रही है। इस बदलाव के साथ-साथ सामान्य (प्लेन) सौर विद्युत की मांग में भी कमी आई है। तदनुसार, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (REIAs), अर्थात् सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI), NTPC लिमिटेड, NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को प्लेन सोलर टेंडर से हटकर एनर्जी स्टोरेज वाले सोलर टेंडर, पीक घंटों के दौरान नवीकरणीय विद्युत आपूर्ति करने वाले कॉन्फिगरेशन वाले टेंडर और फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) आपूर्ति करने वाले कॉन्फिगरेशन वाली निविदाएं करने के लिए जागरूक किया है।

REIAs द्वारा जारी बोलियों के संबंध में विद्युत खरीद करार (PPAs) को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई सक्रीय कदम उठाए हैं। इनमें राज्यों से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (RCO) का पालन करने का आग्रह करना, और REIAs को निविदा डिज़ाइन करने और जारी करने से पहले विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) और अन्य उपभोक्ताओं से कुल मांग को एकत्र करने की सलाह देना शामिल है। कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करने और PPA हस्ताक्षर में तेज़ी लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएं (रीजनल वर्कशॉप) आयोजित की गई हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा घोषित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) संभाव्यता के आधार पर पहले ही ट्रांसमिशन प्लान तैयार करता है, ताकि RE डेवलपर्स को ट्रांसमिशन प्रणाली की स्पष्ट जानकारी मिल सके। ट्रांसमिशन सिस्टम को अनुकूल करने के लिए इसे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के हिसाब से चरणों में लागू किया जाता है। अनुमानित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के लिए ज़रूरी ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2032 तक की एक ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है। इसके अलावा, नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन लाइनों और सब-स्टेशन क्षमता को सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 के तहत, सोलर और नॉन-सोलर घंटों के लिए कनेक्टिविटी दी जाती है, जिससे ट्रांसमिशन अवसंरचना का अधिक कुशलता से उपयोग हो सके और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समेकित करना आसान हो, जिसमें बिना किसी आनुपातिक अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमता के सह-स्थित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं।

\*\*\*\*\*